कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ
राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक फा.सविरा/मा.सं.वि./सू.अ./सर्कुलर आर्डर/पार्ट-II 1500-1521 दिनांक 9/3/15

अतिरिक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां (समस्त)

क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी
सहकारी समितियां (समस्त)

मुख्य कार्यकारी
शीर्ष संस्थाएं (समस्त)

विषय:- राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान राज्य लोक सूचना अधिकारी की उपस्थिति हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव के परिपत्र क्रमांक प. 11 (1) प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 5.2.15 व अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक प. 11 (1) प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 13.2.15 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 132/2015 एवं 144/2015 उपशासन सचिव कार्मिक विभाग बनाम श्री प्रकाश शुक्ल में पारित आदेश दिनांक 8.1.15 के संदर्भ में लेख है कि राज्य सूचना आयोग से बार-बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नही होते है परिणामस्वरूप राजस्थान सूचना आयोग द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है।

अत: आपके अधीनस्थ कार्यालय/संस्थाओं/समितियों के समस्त लोक सूचना अधिकारियों/अपील अधिकारियों को सूचना आयोग में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए संलग्न प्रपत्र में सूचना दो प्रतियों में विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

370

शिव कुमार बाकोलिया
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी
9/3/15

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग शासन सचिवालयराजस्थान जयपुर क्रमांक 357, 358 दिनांक 23.2.15 के क्रम में सूचनार्थ
2. अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम/द्वितीय प्रधान कार्यालय जयपुर।
3. मुख्य अंकेक्षक प्रधान कार्यालय जयपुर
4. निजी सचिव रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान प्रधान कार्यालय जयपुर।
5. प्रचार अधिकारी प्रधान कार्यालय जयपुर।
6. रक्षा पत्रावली।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकः प.1(1)सह/2015 जयपुर, दिनांकः– 27-2-2015

पंजीयक,
सहकारी समितियाँ
राजस्थान, जयपुर

विषयः–समस्त प्राधिकारीगण अपने अधीनस्थ विभाग में नियुक्त समस्त लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है पत्र की पालना सुनिश्चित कराते हुये संलग्न प्रपत्र में चाही गई सूचना दो प्रतियों में इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

27.2.15
(कैलाश चन्द्र कुमावत)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का
अधिकार

क्रमांक प. 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015 जयपुर, दिनांक 13-2-15

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 132/2015 एवं 144/2015 उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग बनाम श्री प्रकाश शुक्ल में पारित आदेश दिनांक 08.01.2015 के सन्दर्भ में लेख है कि सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि अपील की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन राज्य सूचना आयोग से बार-बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं जिसके कारण आयोग मे वांछित सूचना नहीं दिये जाने का वास्तविक कारण प्रस्तुत नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप राजस्थान सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति आधिरोपित की जाती है।

अतः आप समस्त लोक प्राधिकारीगण अपने अधिनस्थ विभाग में नियुक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए संलग्न प्रपत्र में सूचना दो प्रतियों में शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

प्रमुख शासन सचिव
सहकारिता विभाग शासन सचिवालय
राजस्थान, जयपुर
क्रमांक 358
दिनांक 23/2/2015

कार्यालय सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांक 685453
दिनांक 23-2-2015

(राकेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रपत्र

विभाग का नामः–.....

क. स.	विभाग /अनुभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम	राजस्थान सूचना आयोग की द्वितीय अपील संख्या	राजस्थान सूचना आयोग मे सुनवाई की दिनांक	उपस्थित/ अनुपस्थित	अनुपस्थित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7